

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अथ इनिशियल जज बोवू बनाम राधाशिव वर्मा मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम में इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-06-26	<p>प्राथमिक की ओर ली शंपत्र बाबत विज्ञा कल्ये प्रस्तुत करने पर पत्रावली तबव की गई उक्त पत्रावली के मध्य लोक अदालत की भावना से उचित डेकर अपने शंपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाय नहीं चाहे है और विज्ञा कल्ये चाहेतें हैं</p> <p>अतः प्राथमिक द्वारा शंपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विज्ञा किये जाने पर शंपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाता है पत्रावली फौजदारी डेकर मूल वाद चलाने से</p> <p>आदेश सुभाष. गंधी Mandh</p>	<p>वापुसल की देवाल</p>